

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

- 1- निदेशक / प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
उ० प्र०।
- 2- समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अध्याक्षिका,
जिला महिला / पुरुष चिकित्सालय।

चिकित्सा अनुभाग-1

दिनांक 18 अप्रैल, 2008

विषय - रक्त एवं रक्त अंगणमण्डल से संबंधित चार्ज निचे सूची के अन्तर्गत में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या-टी-12011/1/2006 -नाको(बी०एस०), दिनांक 08.01.2006 व तद्विषय परिपत्र संख्या-टी-12015/30/2002 -नाको(बी०एस०), दिनांक 23.01.2003 के द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं:-

- 1- राजकीय एवं स्वीच्छिक रक्तकोषों द्वारा अपने अस्पताल में शर्ती मरीजों या अन्य राजकीय एवं स्वीच्छिक रक्तकोषों को रक्त यूनिट प्रदान करने पर सर्विस चार्ज के रूप में मात्र रु० 850/- (आठ सौ पचास रुपये मात्र) प्रति यूनिट लिया जायेगा।
- 2- थेलीसेतिया तथा हीनोफीलिया से ग्रसित रोगियों को बार-बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता के दृष्टिकोण से उनको निशुल्क रक्त यूनिट उपलब्ध कराया जाय।
- 3- उपर्युक्त के अतिरिक्त रक्त अवयव हेतु निम्नानुसार चार्ज लिया जायेगा:-

क- पैक्ड रेड सेल्स/होल ब्लड

(packed Red Cells/Whole Blood)

- रु० 850/- प्रति यूनिट

ख- फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा

(Fresh Frozen Plasma)

- रु० 400/- प्रति यूनिट

ग- प्लेटिलेट कन्संट्रेट

(Platelet Concentrate)

- रु० 400/- प्रति यूनिट

घ- क्रियोप्रेसिपिटेट

(Cryoprecipitate)

- रु० 200/- प्रति यूनिट

4- नाको सहायित राजकीय रक्त कोषों में शुल्क/चार्ज संशोधन/परिवर्तन

उ० प्र० राज्य ब्लड ट्रान्सफ्यूजन कौंसिल के अनुमोदनोपरान्त लिया जा सकेगा।

5- उ० प्र० राज्य ब्लड ट्रान्सफ्यूजन कौंसिल के सुदृढीकरण के लिए ब्लड बैंक सर्विस चार्ज का 15 प्रतिशत कारपस फंड (Corpus Fund) उ० प्र० राज्य ब्लड

ट्रान्सफ्यूजन कौंसिल के खाते में जमा किया जायेगा।

6- कार्पोरेट सेक्टर के चिकित्सालयों द्वारा संचालित ब्लड बैंक तथा कामर्शियल ब्लड बैंक उपयुक्त प्रस्तर - 3 में उल्लिखित दर के अनुसार सर्विस चार्ज ग्रहण करेंगे।

7- यदि कार्पोरेट सेक्टर/प्राइवेट चिकित्सालयों के द्वारा अपने ब्लड बैंक संचालित न किये जा रहे हों तो वे सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक अथवा स्वच्छिक संगठनों द्वारा संचालित ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे मामलों में प्राइवेट नर्सिंग होम्स/कार्पोरेट चिकित्सालय रोगियों से उतना ही सर्विस चार्ज लेंगे जितना कि उनके द्वारा रक्त प्राप्त करने हेतु ब्लड बैंक को भुगतान किया गया हो। अनिवार्य परीक्षण के अतिरिक्त अन्य परीक्षाओं के लिये उनके द्वारा अलग से चार्ज किये जा सकेंगे।

8- राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सेवा शुल्कों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-984/5-1-2000-4(80)/95 दिनांक 28.06.2000 एवं तद्विषयक समय-समय पर निर्गत आदेशों तथा इसी प्रकार की व्यवस्था राजकीय मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों के बारे में यदि कोई हो तो उनका उक्त आदेशों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नाको के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्गत किये जा रहे निर्देश अलग श्रेणी में माने जायेंगे।

9- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(प्रशान्त त्रिवेदी)
सचिव।

संख्या- 438(1)/पॉप-1-08, तददिनांक.

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- परियोजना निदेशक, उ० प्र० राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी।
 - 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ० प्र०।
 - 3- निदेशक, चिकित्सा उपचार, उ० प्र०।
 - 4- औपधि नियंत्रक, उ० प्र०।
 - 5- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ० प्र०।
 - 6- समस्त प्रभारी रक्तकोष, राजकीय चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालयों तथा छत्रपति साहु जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
 - 7- समस्त ए०आर०टी० केन्द्र।
 - 8- चिकित्सा अनुभाग-8।
 - 9- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1/3
 - 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,